# विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के प्रारूप में संशोधन हेतु सुझाव के संबंध में।

1 message

**Abdul Qahar** <abdulqahar2044@gmail.com> Sun, Oct 15, 2023 at 3:55 PM
To: directorse.edu@gmail.com

सेवा में,
निदेशक महोदय
माध्यमिक शिक्षा बिहार

विषय - विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के प्रारुप में संशोधन हेतु सुझाव के संबंध में!

महाशय,
नियोजित शिक्षकों की बहुप्रतीक्षित मांग राज्यकर्मी का दर्जा देने की दिशा में सरकार द्वारा किया गया पहल स्वागत योग्य है लेकिन प्रस्तावित नियमावली के कई बिन्दुओं पर हमें आपत्ति है!

सरकार द्वारा राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए विभागीय परीक्षा से हमें कोई आपत्ति नहीं है लेकिन प्रस्तावित साक्षमता परीक्षा का सिलेबस व पैटर्न पूर्व में नियोजित शिक्षकों के लिए आयोजित दक्षता परीक्षा के अनुरूप ही रखा जाए। उक्त परीक्षा का आयोजन नियमावली लागू होने के एक माह के अंदर लिया जाए। लेकिन तीन बार परीक्षा में फेल होने पर सेवा मुक्त करने के प्रावधान को हटाया जाए।

नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी बनाए जाने से उनकी बहुत सारी समस्याएं स्वतः समाप्त हो जाएंगी। विशेषकर जो नियोजित शिक्षकों की वर्षों से जो ऐच्छिक स्थानांतरण की लंबित मांग है वो भी पूरी हो जाएगी। हालांकि 2020 नियमावली में भी शिक्षिकाओं के लिए ऐच्छिक और शिक्षकों के लिए पारस्परिक स्थानांतरण का प्रावधान किया गया था लेकिन उसे 3 साल बीत जाने के बावजूद लागू नहीं किया जा सका। हम सरकार से यह मांग करते हैं कि विभागीय परीक्षा के तत्काल बाद नियोजित शिक्षकों को ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ देते हुए ज्वाइनिंग करवाई जाए।

अन्य आपत्ति एवं सुझाव बिंदूवार इस प्रकार हैं :-

i)- विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों के लिए प्रयुक्त नई शब्दावली 'विशिष्ट शिक्षक' के बदले BPSC उत्तीर्ण शिक्षकों की भांति 'विद्यालय अध्यापक' ही रखा जाए। विशिष्ट शिक्षक शब्दावली का प्रयोग विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए किया जाता है। ऐसे में ये नया नाम हमें स्वीकार नहीं है।

ii)- एक विद्यालय में दो कोटि के शिक्षक न बनाए जाएं। इसलिए अत्यावश्यक है कि एक ही कॉमन नियमावली विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों एवं बीपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों के लिए बनाया जाए। एक विद्यालय में एक ही संवर्ग के शिक्षक हों। इस से विद्यालय शैक्षणिक वातावरण बेहतर रहता है।

iii)- विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों को नए पे-स्ट्रक्चर में वर्तमान में प्राप्त मूल वेतन के समस्थानिक इंडेक्स का मूल वेतन दिया जाए। इस से किसी भी प्रकार की वेतन विसंगति नहीं आएगी और भविष्य में भी आपसी वरीयता को लेकर कोई विवाद नहीं होगा। अन्यथा की स्थिति में बहुत प्रकार के वेतन विसंगति एवं वरीयता को लेकर विवाद की स्थिति बनेगी।

iv)- विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों को सेवा निरंतरता का लाभ दिया जाए एवं प्रोन्नति को लेकर 2012 नियमावली के तहत प्रावधानों को अक्षुण्ण रखा जाए। स्नातक ग्रेड के शिक्षकों को 5 वर्ष के प्रशिक्षित वेतनमान में सेवा के बाद वरीय स्नातक शिक्षक के पद पर अनिवार्य रूप से प्रोन्नति दी जाए।

V)- 1 से 5 में बहाल 22 हजार बीएड योग्यताधारी नवनियुक्त शिक्षकों को राज्यकर्मी बनाने पर स्थिति स्पष्ट किया जाए क्योंकि सरकार ने अबतक उन्हें सम्बर्धन कोर्स नहीं करवाया है।

vi)- नियोजित से विशिष्ट शिक्षक बनने वाले शिक्षकों को राज्यकर्मी को देय सुविधा यथा एनपीएस,प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी, संचित अवकाश, बीमा , पेंशन आदि को स्पष्ट किया जाए।

विश्वासभाजन
नाम : अब्दुल कहार
जिला: अररिया